दिनांक 06.10.2025	
प्रेस विज्ञप्ति 09/2025	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद सहारनपुर/थाना सरसावा</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त घायल/मृत**
- **लूटे गये 11 हजार 700 रूपये नगद, पीली धातु का आभूषण**
- **लूटी गयी 01 मोटर साइकिल**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल**
- **02 पिस्टल मय 10 जीवित, 18 खोखा कारतूस .32 बोर बरामद**

दिनॉकः 05/06.10.2025 की रात्रि थाना सरसावा व थाना गागलहेड़ी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अम्बाला हाईवे पर ग्राम अगवानहेडा कट के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें थानाध्यक्ष गागलहेड़ी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त इमरान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्त के कब्जे से लूटे गये 11 हजार 700 रूपये नगद, पीली धातु का आभूषण, लूटी गयी मोटर साइकिल, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 02 पिस्टल मय 10 जीवित, 18 खोखा कारतूस .32 बोर बरामद हुये। घायल अभियुक्त इमरान को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहॉ पर चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि मृत अभियुक्त इमरान हिस्ट्रीशीटर अपराधी था, जो जनपद सहारनपुर से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जोन स्तर से 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सरसावा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृत अभियुक्त

1–इमरान निवासी सोन्टा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी

1–लूट के 11 हजार 700 रूपये नगद, पीली धातु का आभूषण।

2–लूटी गयी मोटर साइकिल।

3–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

4–02 पिस्टल मय 10 जीवित, 18 खोखा कारतूस .32 बोर।

जनपद हरदोई/थाना शाहाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **छिनैती का 01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 06.10.2025 को थाना शाहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिपरिया रोड पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रामलखन घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–अंकित सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर छिनैती का 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शाहाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शाहाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामलखन निवासी ग्राम अकररा रसूलपुर थाना कांठ जनपद शाहजहॉपुर। 2—अंकित निवासी ग्राम रूद्रपुर थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1—छिनैती का 01 मोबाइल फोन।

2—01 मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हरदोई/थाना कोतवाली शहर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 06.10.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बावन रोड हरदोई बाईपास पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मोहर्रम अली घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद हरदोई के विभिन्न थानों पर छिनैती, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोहर्रम अली निवासी सतौथा थाना हरपालपुर जनपद हरदोई हालपता—ग्राम गरीबपुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद देवरिया/थाना भलुअनी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना भलुअनी व थाना सुरौली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुम्बई एयर पोर्ट से पुरस्कार घोषित अभियुक्त चन्दन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना भलुअनी पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद कुशीनगर व देवरिया के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना भुलुअनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चन्दन निवासी सिंहपुर थाना भुलुअनी जनपद देवरिया।

जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 कुन्तल बिजली का तार**
- **तार काटने के उपकरण**
- **घटना में प्रयुक्त कार, 01 पिकअप वाहन**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 06.10.2025 को थाना छतारी व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बम्बा चौराहा गोधा बम्बा पट्टी से 07 अभियुक्तों 1— मिठ्ठन

लाल 2–नबाब सैफी 3–किशन कुमार 4–शैलेन्द्रपाल 5–राजाराम 6–वसीम 7–नदीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 कुन्तल बिजली का तार, तार काटने के उपकरण, घटना में प्रयुक्त कार, 01 पिकअप वाहन, 02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना छतारी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छतारी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बिजली का तार चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना छतारी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मिठ्ठन लाल निवासी रहीमकोट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

2–नबाब सैफी निवासी ग्राम अख्तयारपुर थाना धनौरा जनपद अमरोहा।

3–किशन कुमार निवासी रहीमकोट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

4–शैलेन्द्रपाल निवासी कच्ची महटोली थाना मराहट जनपद कानपुर देहात।

5–राजाराम निवासी रहीमकोट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

6–वसीम निवासी कसरा गली नं0–01 रामघाट वजीराबाद, दिल्ली।

7–नदीम निवासी ग्राम अख्तियारपुर भूड थाना धनौरा मंडी जनपद अमरोहा।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 10 कुन्तल बिजली का तार।

2–तार काटने के उपकरण।

3–घटना में प्रयुक्त कार, 01 पिकअप वाहन।

4–02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि।

- **<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना सिहानीगेट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गाजियाबाद द्वारा थाना सिहानीगेट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/307

भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–पप्पू उर्फ मनीष 2–मनोज कुमार को आजीवन कारावास व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जैतपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना जैतपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामजीत को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना बदलापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना बदलापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट सपठित धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अनुराग को आजीवन कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना गौराबादशाहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना गौराबादशाहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/504/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पिन्टू को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना औरंगाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना औरंगाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त ललित को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————